षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-13.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अशोक कुमार, (क्षेत्र सं०-208) स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०	"सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-9529, दिनांक-01.07.15 द्वारा सभी सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार सहित राज्य के सभी विभागों, निकायों को निर्देश जारी किया गया है कि सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हैं, को श्रुतिलेखक की सुविधा उपलब्ध करायी जाय । राज्य के किसी भी विभाग, आयोग, निकाय द्वारा श्रुतिलेखक का कोई पूल नहीं बनाया गया है जिसके कारण किसी भी परीक्षा में सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक नहीं मिल पा रहा है और वे परीक्षा से वंचित हो जा रहे हैं । अतः राज्य के सभी विभागों, आयोग, निकायों में सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिये श्रुतिलेखक का पूल बनाये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	सामान्य प्रशासन

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री मनीष कुमार, स०वि०स० श्री रामप्रीत पासवान, स०वि०स० श्री गिरिधारी यादव, स०वि०स० श्री रणधीर कुमार सोनी, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स० श्री नौशाद आलम, स०वि०स०	"सरकार के लोक कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की राशि जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार से विभागों या जिलों को प्राप्त होती है, को वित्त विभाग के निर्देश के विपरित निजी बैंकों में जमा करायी जाती है । वित्त विभागीय पत्रांक-5268, दिनांक-16.06.15 के अनुसार वैसे सभी बैंक खाते जो वित्त विभाग की सहमति के बिना खोले गये हैं, में बिहार कोषागार संहिता के नियम-34 का उल्लंघन हुआ है । उदाहरणस्वरूप ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं की राशि ऐसे खास निजी बैंकों में जमा करायी जाती है जो दूसरे निजी बैंकों से कम ब्याज दर सरकार को देती है । एक ओर तो राष्ट्रीय बैंक में सरकारी राशि जमा नहीं करायी जाती है, वहीं दूसरी ओर कुछ खास निजी बैंक में सरकारी राशि जमा कराकर सरकार को राजस्व की हानि पहुँचायी जा रही है । अतएव दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं ज्यादा ब्याज दर देने वाली राष्ट्रीय बैंक में सरकारी राशि जमा करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	वित्त ग्रामीण विकास

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-9/18- 1208-1218 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 मार्च, 2018 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग / वित्त विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12.03.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-9/18- 1208-1218 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 मार्च, 2018 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

12.03.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

12/3/18